

1 (ख) उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग-2
सं० 1602/उन्तालीस (2)-217-04
लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई०
अधिसूचना

उ०प्र० अधि० 7/65-आदेश-77 (षष्ठम) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1965) की धारा 2 की उपधारा (2) और (3) और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों का आंशिक परिष्कार करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, सतर्कता अधिष्ठान के कार्य संचालन को और उसके द्वारा जांच संचालन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

1- संगठन-(1) उत्तर प्रदेश, सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) को धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन संगठित सतर्कता अधिष्ठान का मुख्यालय, लखनऊ में होगा।

(2) सतर्कता अधिष्ठान का प्रशासन पुलिस अतिरिक्त अथवा उप महानिरीक्षक से अनिम्न प्रस्थिति के अधिकारी में निहित होगा जिसे सतर्कता निदेशक पदाभिहित किया जायेगा।

(3) सतर्कता निदेशक को विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ होंगी और वह सीधे सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन कार्य करेगा।

2- कृत्य- सतर्कता अधिष्ठान निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगा :-

(क) लोक सेवक से सम्बन्धित व भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्यवहार और अन्य कदाचार के ऐसे समस्त मामले की जो, उसकी जानकारी में आये, सूचना सरकार को देगा।

(ख) किसी ऐकिक लोक सेवक या किसी विभाग, वर्ग या श्रेणी के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अभिसूचना को अपनी पहल से या सरकार के सतर्कता विभाग के आदेश पर संग्रह करना,

(ग) भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामलों में, जो उसे सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें गुप्त या खुली जांच और अनुसंधान करना। यह शर्त "आदेश संख्या उ०प्र० अधि०-७-६५ आदेश ७६ (पंचम), दिनांक १६ अगस्त १९७६ के अन्तर्गत आने वाले अराजपत्रित सरकारी सेवकों और तत्समान श्रेणी के लोक सेवकों विरुद्ध मामलों में जाल बिछाने पर लागू न होगी :-

परन्तु.....

(१) सतर्कता अधिष्ठान की पूर्ववत् प्रधिकार है कि वह उस अराजपत्रित सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकार की पूर्व अनुज्ञा की बिना जांच करे जिसका आचरण किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी के आचरण के साथ अन्तर्ग्रस्त हो जिसके विरुद्ध सरकार ने जांच करने का आदेश पहले ही दिया हो, किन्तु

(२) किसी अराजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध स्वतन्त्ररूप से जांच या अनुसंधान करने के लिये सतर्कता अधिष्ठान सरकार से पूर्वादेश प्राप्त करेगा।

३- (१) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ के अधीन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों अनुसार केवल नियमित अनुसंधान करेगा।

(२) यदि जांच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को किसी ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध जिसके आचरण के बारे में उन्हें जांच करने को नहीं कहा गया हो, कोई सूचना प्राप्त हो, तो सतर्कता निदेशक ऐसी सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिये अविलम्ब भेजेगा।

(३) सतर्कता अधिष्ठान को यह भी प्राधिकार है कि वह गैर सरकारी व्यक्तियों और निजी व्यापार संस्थाओं के विरुद्ध, जिन्हें लोकसेवकों के भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त पाया जाय, अनुसंधान करे, जिसके मामले जांच/ अनुसंधान के लिए उसे सौंपे जायें।

(४) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध जांच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को उस सेवक के विरुद्ध घूसखोरी या दुराचार का कोई ऐसा अन्य मामला लिखे जो उनको पहले दिये गये आदेश के अन्तर्गत न आता हो, तो सतर्कता निदेशक, सैक्टर कार्यालय या प्रभारी अधिकारी ऐसी सूचना

तत्काल सरकार के सतर्कता विभाग को अग्रेत्तर अनुदेश के लिये भेजेगा। यदि सतर्कता अधिष्ठान का अधिकारी यह समझे कि तत्काल कार्यवाही न किये जाने पर ऊपर निर्दिष्ट घूसखोरी या दुराचरण के सम्बन्ध में साक्ष्य खो सकता है या उसमें हेर-फेर किया जा सकता है तो वह सरकार के आदेश प्राप्त होने तक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, किन्तु इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को तुरन्त देगा।

4— शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया :— (1) सतर्कता अधिष्ठान नीचे उप-प्रस्तर (2) में उल्लिखित शिकायतों से भिन्न अन्य प्राप्त शिकायतों की टिप्पणी सहित या रहित, सरकार के सतर्कता विभाग को आदेशार्थ भेजेगा।

(3) निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और उन्हें निक्षेप कर दिया जायेगा जब तक कि किन्हीं विशेष कारणों से सतर्कता निदेशक उन्हें सरकार को भेजने को विनिश्चय न करें:—

(एक) अनाम और छदमनामी शिकायत :—

(दो) मुद्रित पर्चे, पैपलेट आदि जिनकी प्रतियाँ सरकार के अनेक अधिकारियों को भेजी गयी हों और

(तीन) शिकायत जो प्रथम दृष्टया सारहीन हो।

5— रिपोर्ट प्रस्तुत करना— (1) जिन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान की जांच या अनुसंधान करने का कहा जाय, उन सभी मामलों में वह जांच या अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सरकार के सतर्कता विभाग को ऐसे अन्तराल पर देगा जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) जब जांच या अनुसंधान पूरा हो जाय तब अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग अपने निष्कर्ष को समाविष्ट करते हुए सविस्तार आख्या प्रस्तुत करेगा, और

(क) यदि मामला अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उपयुक्त पाया जाय तो आख्या के साथ आरोपों का प्रारूप भी भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक आरोप के साथ

दिये जाने वाले प्रस्तावित साक्ष्य को संक्षिप्त और मामले का संक्षिप्त तथ्य होना चाहिये।

(ख) (एक) यदि मामला न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना हो तो अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिये अपनी सविस्तार आख्या, आरोप पत्र की दो प्रतियां और अन्य सुसंगत सामग्री सहित प्रस्तुत करेगा। किसी भी स्थिति में अधिष्ठान आरोप पत्र को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

(दो) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन राज्य सरकार के निर्देश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 या तत्समय प्रवृत्त किसी विवि के किसी अन्य उपबन्ध को, जिसमें पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो, अपेक्षानुसार समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।

6- शासन का सतर्कता विभाग सविस्तार आख्या की परीक्षा करने के पश्चात यह विनिश्चय कर सकेगा कि निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही की जाय:-

(1) उसे अभियोग चलाने के लिये आरोप-पत्र के साथ न्यायालय को भेजा जाय।

(2) उसे अनुशासनिक कार्यवाही के लिये प्रशासनिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाय।

(3) उसे विभागीय कार्यवाही के लिये संबन्धित प्रशासनिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाय।

(4) उस मामले को समाप्त किया जाय।

7- प्रत्येक मामले में, समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जिसे उपर्युक्त पैरा 6 में बताई गयी कोई कार्यवाही करने के लिये शासन के सतर्कता विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश दिया जाय।

8- सतर्कता निदेशक उन व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की पहल कर सकता है जिन्हें लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा के अभाव या अन्य कदाचार की मिथ्या, या सारहीन शिकायत करने वाला पाया जाय।

७- कर्मचारीवर्ग- राज्य सरकार सतर्कता अधिष्ठान के लिये ऐसे कर्मचारीवर्ग और उतने विधिक सलाहकारों और तकनीकी कर्मचारियों को व्यवस्था करेगी जितने सरकार अधिष्ठानों के कृत्यों का उचित रूप से संपादन करने के लिये समय-समय पर आवश्यक समझे।

10- (1) जांच या अनुसंधान करने वाले अधिष्ठान के किसी सदस्य को ऐसा सभी शासकीय अभिलेख सुलभ होगा जो जांच या अनुसंधान किये जाने वाले मामले से संबन्धित और कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा अभिलेख हो, अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी मांग करने पर तत्काल ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करेगा और अनुसंधानकर्ता अधिकारी की जांच या अनुसंधान में सभी अन्य आवश्यक सहायता देगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुसंधान के अन्तर्गत अपराध से संबन्धित सम्पत्ति को कब्जा में लेने की शक्ति का प्रयोग, जहां तक उसका सम्बन्ध शासकीय अभिलेखों से है, अधिष्ठान के सदस्यों द्वारा तभी किया जायेगा जब वांछित अभिलेख के खो जाने, नष्ट किये जाने अथवा उसमें हेर फेर किये जाने की पर्याप्त युक्तियुक्त आशंका हो, जिसे अनुसंधान दैनन्दिनी में अभिलिखित किया जायेगा।

11- यह आदेश, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

आज्ञा से
इन्द्र मोहन सहाय
आयुक्त एवं सचिव

1-B- GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

VIGILANCE SECTION-2

NO.1602/39(2)-217-1964

Lucknow, Dated August 29, 1977

Notification

UPA- 7/65-Order/77 (Sixth):- In exercise of the powers conferred sub-sections (2) and (3) of section 2 and sub-section (I) of section of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 Act n0. VII of 1965 and in partial modification of the previous orders on the subject, the Governor is pleased to make the following order regulating the working of and conduct of enquiries by the U.P. Vigilance Establishment:

1. Organisation- (1) the Vigilance Establishment constituted under sub-section (1) of section 2 of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 (to be hereinafter called as the Act), shall have its headquarters at Lucknow.

(2) The administration of vigilance establishment shall vest in an officer not below the status of additional or Deputy inspector- General of Police, who shall be designated as the Director of Vigilance.

(3) The Director of Vigilance shall have the powers of a Head of Department and shall function directly under Government in the Vigilance Department.

2. Functions – The Vigilance Establishment shall perform the following functions:

(a) Keep the Government informed of all the cases of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour and other malpractice involving public servants that come to its notice;

(b) Collect intelligence on its own initiative or on the orders of Government in the Vigilance Department relating to corruption of any individual public servant or public servants belonging to a department, class or category;

(c) Make enquiries, secret or open, and investigations in to cases of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour or other malpractices that may be referred to it from time to time by the

government in the Vigilance Department. This condition shall not apply to trap cases against non-gazetted government servants and public servants of similar rank covered by order no. UPA- 7/65-Order/76 (fifth), dated August 16, 1976; provided that-

(1) the Vigilance Establishment is as before authorised to take up enquiry without prior permission of government against a nongazetted government servant, whose conduct may be involved with the conduct of a gazetted officer, against whom an enquiry had already been authorised by government, but

(2) For taking up an independent enquiry-or investigation against non-gazetted official, prior orders of Government shall be obtained by the Vigilance Establishment.

3- (1) In the cases under the Prevention of Corruption Act, 1974 the Vigilance Establishment shall make only regular investigation in accordance with that provisions of the Act.

(2) If during the course of enquiry, officers of the Vigilance Establishment receive any information against a Government servant, whose conduct they have not been asked to enquiry in to the Director of Vigilance shall without delay forward such information to Government in the vigilance Department for orders.

(3) The Vigilance Establishment is also authorised to make investigation against non-officials and private concerns found involved in the corruption of public servants whose cases may be entrusted to it for enquiry/investigation.

(4) If During the course of an enquiry against a public servant officers of the Vigilance Establishment receive any information of any other instance of corruption or misconduct of that servant which is not covered by the orders already given to them, the Director of Vigilance/the officer in charge of the sector office shall immediately send such information to Government in the Vigilance Department for further instructions. An officer of the Vigilance Establishment may, if he considers that the evidence in respect of corruption or misconduct referred to above may be lost or tampered with, if immediate action were not taken, take such action as he may consider necessary, pending receipt of orders of

Government, but shall forth with report the action so taken to Government in the Vigilance Department.

4- **Procedure for dealing with complaints-** (1) The complaints received by the Vigilance Establishment other than those mentioned in sub-para (2) Vigilance Department for orders.

(2) NO action shall be taken on complaints of the following nature and they shall be deposited, unless for any special reasons the Director of Vigilance decides to forward the same to Government :

(i) Anonymous and pseudonymous complaints;

(ii) Printed handouts, pamphlets etc., copies of which have been sent to several officers of government; and

(iii) Complaints which are, prima facie, frivolous.

5- **Submission of reports-** (1) In all cases in which the Vigilance Establishment is asked to make the enquiry or investigation, it will furnish to Government in the Vigilance Department reports at such intervals as may be specified by the Government, on the progress of the enquiry or investigation.

(2) When the enquiry or investigation is completed, the Establishment shall submit to Government in the Vigilance Department a detailed report embodying its conclusions and-

(a) if the case is found fit for disciplinary proceedings, draft charges should also be sent with the report. Each charge should be accompanied with an abstract of evidence proposed to be tendered and brief facts of the case;

(b) (i) if the case is to be referred to court of law, the Establishment shall submit to Government in the Vigilance Department, its detailed report together with two copies of the charge-sheet and other relevant material, for orders. In no case shall the charge-sheet be submitted by the Establishment direct to the court:

(ii) the charge-sheet shall be filed in the court by the Vigilance Establishment only after direction of the state Government under sub-para (I) of para 6 and previous sanction

of the appropriate authority as required by section 197 of the code of Criminal procedure, or section 6 of the Prevention of Corruption act, 1947, or by any other provision of any law for the time being in force requiring such previous sanction.

6- Government in the Vigilance Department after examining the detailed report may decide that any of the following actions may be taken:

(1) It may be forwarded to court with charge-sheet for prosecution:

(2) It may be referred to the Administrative Tribunal for disciplinary proceedings;

(3) It may be referred for departmental action to the Administrative Department concerned;

(4) It may be closed.

7- In each case, action shall be taken by the appropriate authority to whom necessary directions may be given by Government in the Vigilance Department for taking any of the actions enumerated in Para 6 above.

8- The Director of Vigilance may take the initiative in prosecuting persons, who are found to have made false or frivolous complaints of corruption or lack of integrity or other malpractices against public servants.

9- **Staff-** The Vigilance Establishment will be provided by the state Government with such staff and such number of legal advisers and technical staff as Government may consider necessary from time to time for the proper discharge of its functions.

10- (1) Any member of the Establishment making enquiry or investigation shall have access to all official records having a bearing on the case under enquiry or investigation and the Head of office or Head of Department having custody of such record, on being asked by the investigation officer to do so, shall forthwith furnish such record and render all other necessary

assistance in the enquiry or investigation to the investigation officer.

(2) The powers of taking into possession property connected with the offence under investigation under the code of criminal procedure shall, in so far as they relate to official records, be exercised by the members of the Establishment only when there is sufficiently reasonable apprehension to be recorded in writing in the case diary of the wanted records being lost, destroyed tampered with.

11. These orders shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

Orderd by
Inder Mohan Sahay,
Commisioner and
Secretary.